(118)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 77–दो/90 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–5–90 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 230/88–89/अपील.

---

मल्हारराव पिता हरिभाऊ (मृतक) द्वारा वारिसान–
1– दौलत राव पुत्र मल्हारराव (मृतक) द्वारा वारिसान
1– श्रीमती अनुसया बेवा स्व. दौलतराव
2– संगीता पिता स्व. दौलतराव
3– कविता पिता स्व. दौलतराव
4– सोनाली पिता स्व. दौलतराव
निवासीगण ग्राम धूलमहू
तहसील घटिया जिला उज्जैन
2– दशरथ राव पुत्र मल्हारराव
3– नारायण राव पुत्र मल्हारराव
4– रवीन्द्र राव पुत्र मल्हारराव
5– लीलाबाई पुत्री मल्हारराव
6– कौशल्याबाई पुत्री मल्हारराव
7– मनुबाई पुत्री मल्हारराव
निवासीगण ग्राम धूलमऊ
तहसील घटिया जिला उज्जैन .....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1– मोतीराम पिता लक्ष्मण (मृतक) द्वारा वारिसान–
1– कंचनबाई विधवा मोतीराम
2– जतनबाई पुत्री मोतीराम
निवासीगण धूलमउ
तहसील घटिया जिला उज्जैन
2– माया राम पिता लक्ष्मण (मृतक)
3– अमरजी पिता लक्ष्मण
4– अबजी पिता लक्ष्मण
निवासीगण ग्राम धूलमऊ
तहसील घटिया जिला उज्जैन
5– बालू पिता लक्ष्मण (मृतक) .....अनावेदकगण

---

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–90 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, टप्पा पानबिहार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–70/86–87 में पारित आदेश दिनांक 31–1–88 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अपील/87–88 दर्ज कर दिनांक 20–1–89 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–5–90 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–5–86 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था, और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 31–1–88 को पुर्नस्थापित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कार्यवाही की गई है, और अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसे पुनःस्थापन हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 31–1–88 को आदेश पारित कर पुनःस्थापित किया गया है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता

नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण सामान्यतः तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को न्याय प्राप्त हो सके ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर